न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:—12/2025 तारीख रजू:—17.04.2025

जीसीएमएस नंबर:—2025/34

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. गणेश नारायण पुत्र केदार लाल सोनी, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. सिंधु पत्नि गणेश नारायण सोनी, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

वादीगण—

बनाम

1. अनिता देवी पत्नि नाथू कीर, निवासी कीरों की झोपड़िया, बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक।
2. प्रधान पुत्र हरफूल कीर , निवासी कीरों की झोपड़िया, बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक।
3. बनवारी पुत्र हरफूल कीर , निवासी कीरों की झोपड़िया, बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक।
4. त्रिलोक पुत्र दामोदर जाति ब्राम्हण, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. रामजीलाल पुत्र दामोदर जाति ब्राम्हण, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
6. सत्यनारायण पुत्र दामोदर जाति ब्राम्हण, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित:—
वकील वादी:— श्री हसंराज यादव, एडवोकेट
वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3:—श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट
वकील प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 :—एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक:—27.01.2026

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0 एक्ट

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य :—

1. प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

❖ वादीगण पति पत्नि है। तथा प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 06 सगे भाई है। तथा प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 06 का सगा भाई दशरथ पुत्र दामोदर जाति ब्राह्मण निवासी शिवाड विगत 20—22 वर्ष से गुमशुदा है। एवं गुमशुदा दशरथ की कृषि भूमि पर उसके सगे भाई प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 06 काबिज है। गुमशुदा दशरथ की गुमशुदगी बाबत थाना चौथ का बरवाडा पर रपट दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

❖ वादीगण एवं प्रतिवादीगण न.01 लगायत 06 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के अनुसार खाता संख्या 652 का

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

खसरा नम्बर 1068 रकबा 4.700 किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1069 रकबा 0. 1880 किस्म गै.मु.पाल. खसरा नम्बर 1070 रकबा 1.57है० किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.08है० किस्म गै.मु.पाल, कुल किता 04 कुल रकबा 6.53है० ग्राम शिवाङ पटवार हल्का शिवाड बी तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण न.01 लगायत 06 ने मौखिक बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजीयात में वादीगण संख्या 01 का हिस्सा क्रमश 602/1959, 101/653 तथा वादीया संख्या 02 का हिस्सा 301/1959 भाग है। जिसमें वादीगण का कब्जा नवीन खसरा नम्बर 1068 रकबा 4.70 है० एवं खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.18है0 में पूर्व दिशा की और खसरा नम्बर 1064 व 1066 की और है तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा खसरा नम्बर 1070 एवं 1071 के सम्पूर्ण भाग तथा खसरा नम्बर 1068 के पश्चिम दिशा की और है

- वादीगण संख्या 01 लगायत 02 ने स्वयं की हिस्से की भूमि में सिचाई सुविधा हेतु ट्यूबैल लगवाने एवं तारबन्दी करवाने हेतु मेटेरियल डलवा दिया है परन्तु सयुक्त खातेदारी की आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही होने से प्रतिवादीगण ने विधिवत बंटवारा करवाने के बाद तारबन्दी व टयूबैल करवाने के लिए कहा व तारबन्दी नही करने दी व ना ही ट्यूबैल लगवाने दिया जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी न.01 लगायत 06 से कई बार दावे के मद न.02 में वर्णित आराजीयात का तकासमा करवाने हेतु कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी न.01 लगायत 06 जो कि चालाक किस्म के व्यक्ति है यह कह कर टालम टोल करते आ रहे है कि जब भी चाहेगें तकासमा करवा लेंगें परन्तु आज तक भी कोई तकासमा नही करवाया।

- प्रतिवादीगण जो कि निहायत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है. जो अपने हिस्से की भूमि को बिना तकासमा करवाये ही दीगर व्यक्तियों को विक्रय करना चाहते है एवं वादीगण की भूमि पर सिचाई की सुविधा व तारबन्दी से वंचित रखना चाहते है। जबकि प्रतिवादीगण को वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर सिचाई हेतु ट्यूबैल करवाने व जानवरो से फसल की सुरक्षा करने हेतु तारबन्दी करने पर बाधा उत्पन्न करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है।

- इसी उद्देश्य की पूर्ति में प्रतिवादी न.01 [illegible] 06 ने वादीगण को अपने हिस्से की भूमि पर ट्यूबैल करवाने [illegible] गांव में चर्चा की तो वादीगण ने दिनांक 24.03.2025 को प्रतिवादी न.01 लगायत 06 से कहा कि हम वादीगण हमारे हिस्से की भूमि पर सिचाई हेतु टयूबैल करवाने व जानवरो से फसल की सुरक्षा करने हेतु तारबन्दी करना चाहते है। तब प्रतिवादीगण ने संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

लगायत 06 ने विधिवत तकासमा करवाये बिना सिचाई हेतु टयूबैल करवाने व जानवरो से फसल की सुरक्षा करने हेतु तारबन्दी करने से मना कर दिया इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि वो माननीय न्यायालय से तकासमा करवाकर प्रतिवादी न.01 लगायत 06 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये कि वो दावे के मद न. 02 में वर्णित संयुक्त आराजीयात का जब तक विधिवत तकासमा नहीं हो तब तक किसी अन्य को रहन बेचान या मुन्तकिल नहीं करें ना ही वादीगण के हिस्से में आ रही भूमि खसरा नम्बर 1068 एवं 1069 पर कब्जे काश्त व स्वतंत्र उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। बस यही बिनाए दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

❖ बलिहाजे सकूनत फरीकेन व स्थित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण दावे की सुनवाई के श्रीमान न्यायालय को सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

❖ अतः दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिकी फरमाया जावें कि–

➢ वादीगण एवं प्रतिवादी न. 01 लगायत 06 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के अनुसार खाता संख्या 652 का खसरा नम्बर 1068 रकबा 4.70है0 किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1069 रकबा 0. 18है0 किस्म गै.मु.पाल, खसरा नम्बर 1070 रकबा 1.57 है0 किस्न बारानी 1, खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.08है० किस्म गै. मु.पाल, कुल किता 04 कुल रकबा 6.53है० ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है। का विधिवत तकासमा किया जाकर मिन्स एवं प्रोफिट के आधार पर तकासमा किया जाकर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज फरमाई जाकर नक्शा शीट में अंकन फरमाया जावें ।

➢ वादीगण एवं प्रतिवादी न. 01 लगायत 06 के बीच जब तक विधिवत तकासमा नही हो तब तक प्रतिवादी न. 1 लगायत 06 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमायाजावें कि वो वादीगण एवं प्रतिवादी न. 1 लगायत 06 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के अनुसार खाता संख्या 652 का खसरा नम्बर 1068 नम्बर 1069 रकबा रकबा 4.70 है0 किस्म बारानी 1, खसरा 0.18है0 किस्म गै.मु.पाल, खसरा नम्बर 1070 रकबा 1.57है0 किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.08है० किस्म गै. मु.पाल, कुल किता 04 कुल रकबा 6.53 है0 ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर का किसी अन्य को रहन बेचान दान वसियत या मुन्तकिल नहीं करें। तथा वादीगण के हिस्से में आ रही भूमि खसरा नम्बर 1068 एवं 1069 में पूर्व दिशा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

और कब्जे में आ रही भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मानेमजामहत व दखलअन्दाजी नहीं करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी होकर उनकी न्यायालय में तलबी की गई।

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

5. मैंने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. वादीगण विवादित आराजीयात का रिकॉर्डेड सहखातेदार हैं। परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में एक अन्य रिकॉर्डेड सहखातेदार दशरथ पुत्र दामोदर जाति ब्राम्हण को गुमशुदा होना अवगत कराया है, जिसकी गुमशुदगी भी थाना चौथ का बरवाड़ा में दर्ज होना अवगत कराया है, परन्तु उनके द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा उसके मृतक होने संबंधी प्रमाणीकरण संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, और न ही उक्त खातेदार अथवा उसके विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिस कारण उक्त खातेदार के खातेदारी अधिकारों का हनन किया जाना उचित नहीं है।

7. उक्त विवेचन के आधार पर मेरी विनम्र राय में वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

<u>—:आदेश:—</u>

वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। वादीगण सभी सहखातेदारान के विरूद्ध तकासमा हेतु सुसंगत धाराओं में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाड़ा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

1. अनिता देवी पत्नि नाथू कीर, निवासी कीरों की झोपड़ीयां, बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक।
2. प्रधान पुत्र हरफूल कीर, निवासी कीरों की झोपड़ियां, बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक।
3. बनवारी पुत्र हरफूल कीर, निवासी कीरों की झोपड़िया, बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक।
4. त्रिलोक पुत्र दामोदर जाति ब्राम्हण, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. रामजीलाल पुत्र दामोदर ब्राम्हण, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
6. सत्यनारायण पुत्र दामोदर जाति ब्राम्हण, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. गणेश नारायण पुत्र केदार लाल सोनी, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. सिंधु पत्नि गणेश नारायण सोनी, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

नम्बर मुकदमा 12 सन् 2025

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से **श्री हंसराज यादव, एडवोकेट** एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से **श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट**, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 की ओर से **एकपक्षीय कार्यवाही** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 27.01.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। वादीगण सभी सहखातेदारान के विरूद्ध तकासमा हेतु सुसंगत धाराओं में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 27.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)